



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238988
CG-DL-E-21092022-238988

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4226]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944

No. 4226]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2022

का. आ. 4410(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), का.आ. 83 (अ) तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम.सं. 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
"64.	संयुक्त सचिव, सलाहकार, निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और वैज्ञानिक 'बी' जो नई दिल्ली स्थित भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उसके प्रादेशिक कार्यालय सहित है।	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम), 1974 (1974 का 6) और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14)।

[फा. सं. आईए 3-22/30/2021-आईए-III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र संख्यांक का.आ. 83 (अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 63 (अ), तारीख 18 जनवरी, 1988 का. आ. 622 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 1996 का.आ. 727 (अ), तारीख 10 जुलाई, 2002, का.आ. 1199 (अ), तारीख 14.11.2002 और का.आ. 1200 (अ) तारीख 14.11.2002 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2022

S.O. 4410(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, erstwhile the Ministry of Environment and Forest, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 83 (E), dated 16th February 1987, namely:-

In the said notification, in the Table, for S.No. 64 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

TABLE

S.No.	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
“64.	Joint Secretary, Adviser, Director, Additional Director, Joint Director, Deputy Director and Scientist ‘B’ of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi including its Regional Offices.	The Water(Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)”.

F.No. IA3-22/30/2021-IA.III

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.83 (E), dated 16th February, 1987 and subsequently amended *vide* S.O. 63(E) dated 18th January, 1988, S.O. 622(E), dated 3rd September, 1996, S.O. 727(E), dated 10th July, 2002, S.O.1199 (E), dated 14.11.2002 and S.O. 1200(E), dated 14.11.2002.